**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 62

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015

**माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा**

**\*62. श्रीमती रजनी पाटिल**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की कोई नीति बनाई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) विभिन्न विषयों में व्यावसायिक शैक्षणिक अध्यापकों की कुल संस्वीकृत संख्या और भरे गये पदों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी है; और

(घ) राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा की समग्र स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में कैसी है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

‘‘**माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्रीमती रजनी पाटिल द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 62 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): जी, हां। सरकार देश में राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के घटक के रूप में ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा व्‍यावसायीकरण’ की केन्‍द्र प्रायोजित संशोधित योजना का कार्यान्‍वयन कर रही है जिसके अंतर्गत माध्‍यमिक स्‍तर अर्थात कक्षा IX से व्‍यावसायिक विषय प्रारंभ किए जाते हैं। योजना के विशिष्‍ट उद्देश्‍य मांग प्रेरित क्षमता के आधार पर मॉड्यूलर व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्‍यम से युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करना; अर्हताओं में बहु-प्रवेश बहु-निकास शिक्षण अवसरों और योग्‍यताओं में ऊर्ध्‍वाधर गतिशीलता/अंत:परिवर्तनशीलता की व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से उनकी प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता बनाए रखना; शिक्षित और नियोजनीयता का अंतराल पाटना तथा माध्‍यमिक स्‍तर पर स्‍कूल छोड़ने वालों की दर कम करना है। इस घटक में सरकारी माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍कूलों को व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण’ की संशोधित प्रायोजित योजना का कार्यान्‍वयन वर्ष 2013-14 तक अलग योजना के रूप में किया जाता था। इस योजना के लिए 12वीं योजना का आवंटन 500 करोड़ रूपए था। वर्ष 2014-15 से इस योजना को एकीकृत राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया है तथा ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण’ घटक के लिए कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है।

(ग): एकीकृत राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण’ घटक के अंतर्गत शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों, कौशल ज्ञान प्रदाताओं, समन्‍वयकों, अतिथि संकाय इत्‍यादि सहित संसाधन व्‍यक्तियों को नियोजित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रति स्‍कूल 14.50 लाख रूपए की राशि के फ्लेक्‍सीबल पूल का प्रावधान किया गया है। इस योजना में शिक्षकों की कोई निश्चित संख्‍या, जिन्‍हें राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा रखा जाना है, की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की जाती। राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र अपनी-अपनी आवश्‍यकता के अनुसार शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों, कौशल ज्ञान प्रदाताओं, समन्‍वयकों और अतिथि संकाय रखने के लिए स्‍वतंत्र हैं।

(घ): एकीकृत आरएमएसए के ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण’ घटक के अंतर्गत राजस्‍थान के 70 स्‍कूलों को वर्ष 2014-15 के दौरान केन्‍द्र के 9.39 करोड़ रूपए के अंश सहित कुल 12.53 करोड़ का परिव्‍यय अनुमोदित किया गया था। इन 70 स्‍कूलों के लिए राजस्‍थान सरकार को 5.14 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान एकीकृत आरएमएसए के ‘माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा का व्‍यावसायीकरण’ घटक के अंतर्गत 220 स्‍कूलों को 32.59 करोड़ के केन्‍द्रीय अंश सहित कुल 43.45 करोड़ रूपए का परिव्‍यय अनुमोदित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्‍वयन हेतु 08 क्षेत्रों अर्थात आईटी/आईटीज, खुदरा, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, सौंदर्य व स्‍वास्‍थ्‍य, यात्रा और पर्यटन तथा हीरे व जवाहरात का अनुमोदन किया गया है। इन स्‍कूलों की कुल छात्र क्षमता 58,000 है। इन 290 स्‍कूलों में से 70 में व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम राज्‍य सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। राज्‍य-वार अनुमोदित स्‍कूलों की सूची और राजस्‍थान सहित देश में उन स्‍कूलों की संख्‍या जिन्‍होंने व्‍यावसायिक प्रशिक्षण शुरू कर दिए हैं, का ब्‍यौरा संलग्‍नक पर दिया गया है।

**संलग्‍नक**

**‘माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्रीमती रजनी पाटिल द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 62 के भाग (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित संलग्‍नक।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं** | **राज्‍य** | **2015-16** | **2014-15** | **2013-14** | **2012-13** | **2011-12** | **कुल** | **कार्यरत स्‍कूलों की सं.** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5 | 0 |  0  | 0 |  0  | 5 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 4 | असम | 95 | 0 | 0 | 0 | 59 | 154 | 57 |
| 5 | बिहार |  0  | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 121 | 25 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 2 |  0  | 0  | 0 |  0  | 2 | 0 |
| 9 | दमन और दीव | 2 |  0  | 0 |  0  |  0  | 2 | 0 |
| 10 | दिल्ली |  0  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 11 | गोवा | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 12 | गुजरात | 20 |  0 |  0  | 0 |  0  | 20 | 0 |
| 13 | हरयाणा | 250 | 100 | 100 | 0 | 40 | 490 | 240 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 500 | 200 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर |  0  | 110 | 22 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 16 | झारखंड | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 17 | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 100 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 19 | महाराष्ट्र | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 60 |
| 20 | मणिपुर | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 21 | मेघालय | 5 | 0 | 0 | 0 |  0  | 5 | 0 |
| 22 | मिजोरम | 10 | 0 | 0 | 0 |  0  | 10 | 0 |
| 23 | नगालैंड | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | ओडिशा | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 25 | पंजाब | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 |
| 26 | राजस्थान | 220 | 70 | 0 | 0 | 0 | 290 | 70 |
| 27 | सिक्किम | 12 | 8 | 0 | 44 | 0 | 52 | 64 |
| 28 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 30 | उत्तराखंड | 36 | 33 | 11 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  31 | पश्चिम बंगाल | 196 | 0 | 0 | 0 | 93 | 289 | 93 |
|  | **कुल** | **1644** | **951** | **327** | **540** | **192** | **3654** | **1168** |

**\*\*\*\*\***